

**01 शांति अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद अबैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-** पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमारके पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 15.03.2026 को थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर मुजार बुजुर्ग मोड के पास मु0अ0सं0 101/2026 धारा 3/25 आयूध अधिनियम से संबंधित अभियुक्त संदीप राजभर पुत्र विरेन्द्र राजभर निवासी नेवादा गोपालपुर हडही थाना मधुबन जिला मऊ उम्र करीब 19 वर्ष के कब्जे एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

**विवरण-** उ0नि0 हरेन्द्र कुशवाहा (चौकी प्रभारी बोझी) मय हमराह मुजार चट्टी चौराह पर आपस मे अपराध एवम् अपराधियो के संबंध मे बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति मुजार बुजुर्ग मोड के पास अवैध तमंचा लेकर खडा है यदि आपलोग जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है, मुखबिर की इस बात पर विश्वास कर हम पुलिस वालो ने आपस मे स्वयं की जामा तलाशी ले-देकर इत्मीनान कर कि किसी के पास सूचना संबंधी कोई वस्तु नहीं है, अपनी-अपनी प्राइवेट मोटर साइकिल से सूचना दाता मुखबिर को साथ लेकर मुजार बुजुर्ग मोड के पहले पहुच कर उसके बताए अनुसार मोटरसाइकिल किनारे लगाकर पैदल ही सतर्कता पूर्वक मुखबिर के बताए रास्ते पर मुजार बुजुर्ग जाने वाले रास्ते पर करीब दस कदम आगे चलने पर थोड़ी दूर पर ही खडे एक व्यक्ति जो टार्च की रोशनी मे दिखा, दिखाकर कि वही वह व्यक्ति है, स्वयं हमारे पीछे हो लिया कि हम पुलिस वाले जैसे ही तेज कदमो से उस व्यक्ति की तरफ बढे कि सामने हम पुलिस वालो को आता देखकर सकपका कर भागने को हुआ कि वही खडंजा पर ही आज दिनांक 15.03.2026 को समय 00.30 बजे आवश्यक बल प्रयोग कर पकड लिया गया जिसका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम संदीप राजभर पुत्र विरेन्द्र राजभर निवासी नेवादा गोपालपुर हडही थाना मधुबन जिला मऊ उम्र करीब 19 वर्ष बताया कि जामा तलाशी से पहने हुए पैण्ट की दाहिनी फेट मे खूसा एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ व पहने पैण्ट की बाईं जेब से एक अदद I Phpone-11 मोबाइल मिला जिसमें नम्बर -6306128497 का सीम है। बरामद तमंचा का नाल खोलकर देखने पर उसके नाल मे एक अदद जिन्दा कारतूस मिला जिसके पर 8MM KF गुदा है। पकडे गये व्यक्ति संदीप राजभर उपरोक्त का यह कृत जुर्म धारा 3/25 Arms Act का दण्डनीय अपराध का बोध कराते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त के गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 101/2026 धारा 3/25 आयूध अधिनियम पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. संदीप राजभर पुत्र विरेन्द्र राजभर निवासी नेवादा गोपालपुर हडही थाना मधुबन जिला मऊ उम्र करीब 19 वर्ष

#### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 101/26 धारा 3/25 आयूध अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ

#### बरामदगी विवरण-

1. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद
2. एक अदद I Phone-11 मोबाइल

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 हरेन्द्र कुशवाहा
3. हे0का0 राजेश यादव
4. हे0का0 फौजदार यादव
5. का0 अंकित द्विवेदी
6. का0 सुनील कुमार तिवारी
7. का0 मुकेश कुमार

#### 03 शातिर अभियुक्ता व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में कब्जे से चोरी के 07 अदद सोने का लाकेट बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 15.03.2026 को गिरफ्तार शुदा तीन महिला अभियुक्ता 1. लक्ष्मी पत्नी अरूण निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 35 वर्ष, 2 गुड्डी पत्नी श्रीराम उर्फ विजय निवासी महुली सलामतपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 30 वर्ष 3.- खुशबू पत्नी रितेश पुत्री रमेश उर्फ गब्बर निवासी संसार पार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर उम्र 22 वर्ष और एक बाल अपचारी सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ जिनके पास से कुल 7 अदद सोने का लाकिट (चोरी के ) बरामद हुआ ।

**विवरण -** इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2026 को सामूहिक विवाह का आयोजन देवलास मठ परिसर में हुआ था । उक्त समारोह में काफी संख्या में महिला पुरुष व बच्चे आये थे भीड़ का लाभ उठाकर कुछ महिलाओं ने समारोह में आयी महिलायें के सोने के लाकिट अज्ञात महिलाओं द्वारा चुरा लिया गया । जब समारोह में आयी महिलाओं को अपने लाकेट के चोरी होने का पता लगा तो तलाश शुरू किया गया था पुलिस को सूचना दिया गया । जिसके खोज बीन में कार्य क्रम स्थल से चार महिलाये को जो कार्यक्रम में नही बुलाई गयी थी और ना ही सामूहिक विवाह कर रहे जोड़े के किसी पक्ष से थी संदेह होने पर चारों महिलाओं की मौके पर मौजूद महिलाओं द्वारा तलाशी लिवायी गयी जिनके कब्जे से चोरी गये कुल 7 अदद पीली धातू के लाकेट बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में वादी राम प्रवेश यादव पुत्र शिवबचन यादव ग्राम हासपुर थाना मु0बाद गोहना जनपद

मऊ के लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 81/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ पंजीकृत कर विधिक कानूनी कार्यवाही करते हुए अभियुक्ता गण को चालान न्यायालय किया गया

#### **गिरफ्तार अभियुक्ता गण**

1. लक्ष्मी पत्नी अरूण निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 35 वर्ष
2. गुड्डी पत्नी श्रीराम उर्फ विजय निवासी महुली )सलामतपुर( थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 30 वर्ष
3. खुशबू पत्नी रितेश पुत्री रमेश उर्फ गब्बर निवासी संसार पार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर उम्र 22 वर्ष
4. एक बाल अपचारी

#### **बरामद माल**

कुल 7 अदद सोने का लाकेट अभियुक्ता गण के पास से बरामद हुआ

## गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी

1. उ०नि० रविन्द्र नाथ पाण्डेय
2. हे०का० गुलाबचन्द्र गिरी
3. हे०का० कपिलेश्वर सिंह
4. महिला आरक्षी पूजा